1. Urban water supply schemes & Construction of over head tanks

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल,

क्रमांक/ /रूपां/05/प्र.अ./ला.स्वा.या.वि./ भोपाल, दिनांक

परिपत्र

विषयः– विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यो की ड्राईग का अनुमोदन एवं क्यूब टेस्ट हेतु सेम्पल लेने विषयक ।

...................00....................

मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा अवगत कराया है कि विभाग द्वारा जो कार्य कराये जाते है उनके डिजाईन का अनुमोदन कर सक्षम अधिकारियों द्वारा ड्राईगं पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते है ऐसे प्रकरणों में यह कालान्तर में ठेकेदार अथवा विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी ड्राईगं को बदल दें अतः यह आवश्यक है कि विभाग द्वारा अनुमोदन कर इसका पत्र जारी किया जावें तथा ही ड्राईगं पर भी सक्षेप अधिकारी हस्ताक्षर करें । इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्तावित उच्चस्तरीय मापदंडो के अनुरूप कराया जावे ।

मुख्य तकनीकी परीक्षक(स) द्वारा ध्यान में लाया गया है कि आई.एस. कोड 456–2000 के अनुसार प्रत्येक सेम्पल के परिणाम 3स्पेसिमेन पर आधरित होना चाऐयें । जबकि उनके प्रकरणों में एक या दो स्पेरिमेन के क्यूबटेस्ट के परिणामों के आधार पर ही उसे गुणवत्ता का आधार मान लिया गया है । अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रंत्येक टंकयों के क्यूबटेस्ट पुर्ण माप दण्डों क अनुरूप किये जावे तथा टेस्ट की रिपोर्ट रजिस्टर में दर्ज की जावे । उपरोक्त–निर्देशे–का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे । अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही होगी ।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0क्रमांक/5877 रूपा/05/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./ भोपाल, दि. 14.7.02

प्रतिलिपिः

1. मुख्य तकनीकी परीक्षक सर्त्कता 41–शिल्प भवन अरेरा हिल्स भोपाल की और उनके पत्र क0–2350/मुतप/स/ला.स्व.या/11/01–02/भोपालदि.17.5.05 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्रभोपाल/इन्दौर/ग्वालियर जबलपुर ।
3. समस्त अधिक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंडल/ योजना मंडल
4. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की खंड/ परियोजना खंड

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेंतु प्रेषित ।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल